

समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

षोडश बिहार विधान सभा का पंचम सत्र दिनांक 23 फरवरी, 2017 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त हो रहा है। इस सत्र में कुल-23 बैठकें हुईं।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 23 फरवरी, 2017 को महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के सह-समवेत सदस्यों को सम्बोधित किया गया। चतुर्दश बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापस्तित "बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुनर्विचार हेतु वापस किये जाने संबंधी महामहिम राष्ट्रपति से प्राप्त संदेश से सदन को अवगत कराया गया। माननीय मंत्री वित्त विभाग द्वारा बिहार सरकार का वित्तीय वर्ष 2015-16 का प्रतिवेदन वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2) तथा विनियोग लेखे की एक-एक प्रति सदन फटल पर रखी गई। माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सदन फटल पर रखी गई। सभा सचिव द्वारा बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित कुल 06 (छः) विधेयकों में से 05 (पाँच) अनुमत्त विधेयकों एवं 01 (एक) विधेयक "आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016" पर महामहिम राज्यपाल का अनुमति अप्राप्त रहने की सूचना सदन को दी गई। सत्र के दौरान कुल-09 (नौ) जननायकों के निधन पर शोक-प्रकटन हुआ।

दिनांक 27 फरवरी, 2017 को माननीय मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी को सदन में उद्स्थापित किया गया।

महामहिम राज्यपाल मद्देय के अधिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 27 एवं 28 फरवरी, 2017 को वाद-विवाद के उपरान्त धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ।

दिनांक 02 मार्च, 2017 को वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर सामान्य विमर्श हुआ एवं दिनांक 03 मार्च, 2017 को वित्तीय वर्ष 2016-17 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित शिक्षा विभाग के अनुदान की माँग स्वीकृत हुई। शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत हुईं फिर तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक स्वीकृत हुआ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्मिलित अनुदान की माँगों में से कुल बारह विभागों से संबंधित अनुदान की माँगें दिनांक 06 मार्च से 27 मार्च, 2017 के बीच वाद-विवाद, सरकार के उत्तर एवं मतदान के उपरान्त स्वीकृत हुईं। शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुआ।

दिनांक 28.03.2017 को प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा अधिकाई व्यय विवरणी सदन में उपस्थापित किया गया जिसका व्यवस्थापन दिनांक 30 मार्च, 2017 को हुआ।

राजकीय विधेयक (1) बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017, (2) बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेंसी (निरसन) विधेयक, 2017, (3) बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017, (4) बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017, (5) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017, (6) पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017, (7) बिहार विनियोग अधिकाई व्यय विधेयक, 2017 एवं (8) बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थगनार्थों में) (संशोधन) विधेयक, 2017 को सदन की स्वीकृति मिली।

इसके अलावा इस सत्र के दौरान सभा ने नियम समिति द्वारा अनुशसित बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में कतिपय महत्वपूर्ण संशोधनों की स्वीकृति प्रदान कर नियमावली में उन्हें अंगीकार किया। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि शत्रुद देश में पहली बार बिहार विधान सभा ने अपने नियमावली में विश्वासमत प्रस्ताव पेश करने हेतु अलग से प्रावधान बनाया है।

(3)

सत्र के दौरान कुल-4499 प्रश्न प्राप्त हुए। कुल-338 प्रश्न स्वीकृत हुए, जिसमें 3 अल्पसूचित प्रश्न, 3107 तारांकित प्रश्न तथा 348 अतारांकित प्रश्न थे। इन स्वीकृत प्रश्नों में से 458 प्रश्न उत्तरित हुए एवं 10 प्रश्नोंत्तर सदन पटल पर रखे गये। उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या-21, अपृष्ठ प्रश्न 69 एवं 1857 प्रश्न अनागत हुए।

इस सत्र में कुल-846 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 780 स्वीकृत हुए एवं 66 अस्वीकृत हुए। कुल-296 याचिकाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 238 स्वीकृत एवं 58 अस्वीकृत हुईं।

इस सत्र में कुल-493 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 41 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 440 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 12 अमान्य हुए।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के मामले उठाये गये तथा बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये।

इस सत्र के दौरान कुल-264 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई।

इस सत्र में प्रश्न काल का पटना दूरदर्शन द्वारा प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग भी की गयी। इस कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारियों का धन्यवाद के पात्र हैं।

सत्र के संचालन में भरपूर तथा सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ। पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को सफलता से ले जाने का कार्य किया, उन्हें साधुवाद देना है।

(4)

सभा के कार्य-मंचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों व कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल व जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

अब आप सबों व वसंत की शुभकामनाओं के साथ सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।

